17

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष– एम0 के0 सिंह,**
**सदस्य**

निगरानी प्रकरण कमांक 1385–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश, दिनाक 23–3–2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासोदा जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 37/अपील/2012–13.

1 राजेश यादव आयु 21 वर्ष आत्मज
श्री नारायण सिंह यादव निवासी ग्राम गुन्नौठा
तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा
2 प्रहलाद सिंह यादव आयु 35 वर्ष लगभग
आत्मज स्व0 श्री मोहन सिंह यादव निवासी
वार्ड कमांक 2 खारे कुंआ के पास, गंजबासौदा
तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा म0 प्र0

.....आवेदकगण

**विरूद्ध**

1 श्रीमति गीताबाई यादव आयु 45 वर्ष
लगभग पत्नि दंगलसिंह यादव निवासी वार्ड कमांक 21
गंजबासौदा, जिला विदिशा म0 प्र0
2 श्रीमति शांतिबाई यादव आयु 63 वर्ष
लगभग पत्नि कमलसिंह यादव निवासी मेन रोड
विदिशा, जिला विदिशा म0 प्र0
3 कदीर खां आयु 50 वर्ष लगभग आत्मज
श्री बजीर खां नि0 ग्राम दाउद बासौदा
तहसील गंजबासोदा, जिला विदिशा म0 प्र0

–अनावेदकगण

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री पी0 के0 तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2 एवं 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासोदा जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 37/12–13/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 23–3–2013 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बेहलोट तहसील गंजबासोदा में स्थित विवादित भूमियों पर नामांतरण पंजी कमांक 39 दिनांक 12–4–2012 में दर्ज प्रविष्टि को तहसीलदार गंजबासोदा द्वारा किये गये प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 30–4–2012 से परिवेदित होकर गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, गंज बासोदा के न्यायालय में दिनांक 8–4–2013 को प्रस्तुत की गयी । गैर निगरानीकर्तागण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब को माफ किये जाने के संबंध में अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, गंजबासौदा द्वारा प्रकरण कमांक 37/12–13/अपील माल पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 23–3–2013 से गैर निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अवधि विधान की धारा 5 स्वीकार करते हुये अपील को अवधि के अन्दर मान्य की गयी । अनुविभागीय अधिकारी, गंजबासौदा द्वारा आदेश दिनांक 23–3–2013 से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है ।

3/ निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का समग्र रूप से परिशीलन किया गया ।

4/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों में बताया है कि निगरानीकर्तागण द्वारा गैर निगरानीकर्तागण कमांक 1 व 2 को सम्पूर्ण विक्रय धन

का भुगतान करके उनके स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमियों का विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्र सम्पादित कराया गया तथा विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा विधिवत नामांतरण प्रकिया का निर्वाह करने के उपरान्त ही निगरानीकर्तागण के हक में नामांतरण स्वीकार किया गया है । अभिलेख का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि निगरानीकर्तागण को विवादित भूमि जिसकी अभिलिखित भूमिस्वामिनी गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 व 2 थी, के द्वारा विक्रय पत्र सम्पादित न करते हुये मुख्त्यारआम श्री प्रहलाद सिंह पुत्र मोहनसिंह के द्वारा किया गया है । मुख्त्यार आम के द्वारा किया गया विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही विधिवत राजस्व न्यायालय में होना चाहिये । नामांतरण पंजी पर नामांतरण नहीं किया जा सकता है । नामांतरण पंजी पर किया गया ऐसा नामांतरण आदेश अवैध है । 2013 राजस्व निर्णय 74 शकुनत्लाबाई (श्रीमती) विरूद्ध चतुरसिंह तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 109 तथा 110 (3)–नामांतरण नियम–नियम–27–मुख्त्यार आम धारक द्वारा निष्पादक विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण का दावा–मल भूमिस्वामी हितबद्ध व्यक्ति है–उसे सचित किया जाना चाहिये तहसीलदार को उन्मुक्त तथा अनियत्रित विवेकाधिकार नहीं कि अपनी सनक तथा रूचि से किसी भी व्यक्ति को सूचना दे ।

5/ अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष नामांतरण के पूर्व गैर निगरानीकर्ता कमांक 1 व 2 के द्वारा नामांतरण न करने के संबंध में यथासमय आपत्ति दर्ज करादी गयी थी, फिर भी तहसीलदार द्वारा उक्त आपत्ति पर बिना विचार किये ही विक्रय पत्र के आधार पर निगरानीकर्तागण के हक में नामांतरण पंजी कमांक 39 पर नामांतरण प्रमाणित कर दिया गया । नामांतरण प्रमाणित करने से पहिले न तो विधिवत इश्तहार ही जारी किया गया था न मूल भूमिस्वामियों को सूचना दी गयी न सुनवाई का ही अवसर दिया गया । इस प्रकार जब गैरनिगरानीकर्ता को नामांतरण की जानकारी हुई, जानकारी दिनांक से अनुविभागीय अधिकारी, गंजबासौदा के न्यायालय में विधिवत अपील प्रस्तुत की गयी तथा अपील पेश करने में हुये विलंब को माफ करने बाबत अवधि विधान की धारा 5

के अंतर्गत कारण दर्शाते हुये आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्षकारों को सुनने के बाद ही अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये प्रस्तुत अपील को अवधि के अन्दर मान्य की गयी है । प्रकरण अंतिम तर्क के लिये नियत किया गया । निगरानीकर्तागण को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखे जाने का पूर्ण अवसर प्राप्त है ।

6/ अतः अनुविभागीय अधिकारी, गंजबासौदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–3–2013 विधिसम्मत होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य परिलक्षित न होने के कारण यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर